फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

मनोहर बनाम [illegible]

प्रकरण सं. 2/11/25 तारीख रजू 12.02.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
12.02.2025	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रमुखतः यह कथन किया कि उक्त आराजी बाबत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षकारान को विवादित आराजी खसरा नं. 1065 रकबा 0.4805 है0 वाके ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ में मौके की यथास्थिति बनायें रखने बाबत रजिस्टर्ड नोटिस तामिल करवाने की शर्त पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है। आर्डर 39 सीपीसी के तहत किसी एक भी पक्षकार के उपस्थित होकर बहस चाहने पर वादी अधिवक्ता को अनिवार्यत बहस करनी होगी। अधिवक्ता वादी द्वारा बहस हेतु समय चाहने पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समक्षी जावेंगी। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 27.02.2025 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 27.02.2025 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

.....मनोहर.....बनाम.....हैनू.....

प्रकरण सं. 21/11/2025 तारीख रजू. 12.02.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
03.7.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आपत्ति दिनांक 11.8.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
11.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को तलबी हेतु न्यायहित में अंतिम मौका दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.8.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
20.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने पत्रावली NOT PRESS कर इसी स्तर पर खारिज/drop फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज/drop की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	Not Press [signature]